

परिशिष्ट सारणी 21 : राज्य सरकारों की बकाया देयताओं का विन्यास - कुल के अनुपात में
(मार्चात में)

(करोड़ रुपए)

वर्ष	कुल आंतरिक ऋण	बाजार ऋण	एनएस एसएफ	भारिबैंक से अर्थोपाय अग्रिम	बैंक तथा वित्तीय संस्थाओं से ऋण	एलआईसी से ऋण	जीआई सी से ऋण	नाबार्ड से ऋण	भा स्टेट बैंक तथा अन्य बैंकों से ऋण	एनसीडी सी से ऋण	अन्य संस्थानों से ऋण	अन्य ऋण	क्षति पूर्ति तथा अन्य बांड	केन्द्र से ऋण तथा अग्रिम	अल्प बचत, भविष्य निधि आदि	आरक्षित निधि	जमा तथा अग्रिम (निवल शेष)	आक- स्मिकता निधि	कुल बकाया देयताएं
1	2 = जोड़ (3-6)+14	3	4	5	6 =जोड़ (7-13)	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=2+जोड़ (15-19)
1991	15.0	12.2	-	0.8	2.0	0.6	0.2	0.2	0.2	0.5	0.3	-	-	57.4	13.2	3.7	10.0	0.8	100.0
1992	15.8	12.9	-	0.9	2.0	0.5	0.2	0.1	0.4	0.6	0.2	-	-	56.4	13.5	3.8	9.9	0.7	100.0
1993	15.9	13.4	-	0.6	1.9	0.5	0.2	-	0.4	0.5	0.1	0.1	-	54.4	14.0	4.0	11.2	0.5	100.0
1994	16.5	13.9	-	0.7	1.8	0.6	0.2	-	0.4	0.5	0.2	-	-	53.9	14.9	4.4	10.1	0.4	100.0
1995	16.5	14.4	-	0.3	1.8	0.5	0.2	-	0.4	0.5	0.2	-	-	53.4	15.2	4.2	10.6	0.2	100.0
1996	17.5	14.8	-	0.8	1.9	0.5	0.2	0.1	0.5	0.4	0.2	-	-	52.1	15.2	4.2	10.6	0.4	100.0
1997	17.8	15.1	-	0.9	1.8	0.5	-	0.3	0.4	0.4	-	0.2	-	51.5	15.3	4.3	10.9	0.2	100.0
1998	17.8	15.2	-	0.2	2.3	0.5	-	0.6	0.4	0.3	-	0.5	-	51.4	15.2	4.3	11.0	0.3	100.0
1999	19.1	15.2	-	1.2	2.7	0.5	-	0.8	0.5	0.3	-	0.5	-	50.3	15.7	4.3	10.5	0.1	100.0
2000	24.5	14.6	5.1	1.4	3.3	0.6	-	0.8	0.6	0.3	-	1.0	-	45.7	15.6	3.8	10.1	0.3	100.0
2001	30.2	14.4	9.8	1.1	4.9	0.7	-	1.1	0.7	0.2	-	2.1	-	40.5	15.6	3.8	9.9	0.1	100.0
2002	35.6	14.8	13.5	1.3	5.8	0.7	-	1.3	1.0	0.2	-	2.6	-	36.4	14.8	3.9	9.2	0.1	100.0
2003	41.8	16.7	18.4	0.3	6.4	0.8	-	1.4	1.0	0.2	-	2.9	-	31.8	14.2	4.0	8.1	-	100.0
2004	46.5	19.4	18.2	0.2	6.6	1.0	-	1.3	0.8	0.3	-	3.2	2.0	29.0	13.3	4.2	7.0	-	100.0
2005	51.4	20.5	22.6	-	6.0	1.2	-	0.9	0.8	0.1	-	2.9	2.3	24.6	12.7	4.4	7.0	-	100.0
2006 सं.अ.	54.7	19.9	26.9	-	5.9	1.1	-	1.3	0.7	0.1	-	2.6	2.1	22.4	12.3	4.2	6.2	-	100.0
2007 ब.अ.	57.1	20.0	29.3	-	60.	1.0	-	1.8	0.6	0.1	-	2.4	1.8	20.9	12.1	4.2	5.6	-	100.0

‘-’ : लागू नहीं / अनुपलब्ध / नगण्य

टिप्पणियाँ : 1. वर्ष 1996-97 से ‘अन्य ऋण’ में ‘जीआईसी से ऋण’ तथा ‘अन्य संस्थानों से ऋण’ शामिल हैं।

2. ‘क्षतिपूर्ति तथा अन्य बांड’ में 2003-04 के पावर बांड शामिल हैं।

3. अरुणाचल प्रदेश का [2004-05, 2005-06 (सं.अ.) और 2006.07 (ब.अ.) और जम्मू और कश्मीर] 2005-06 (सं.अ.) और 2006-07 (ब.अ.) के अलग-अलग विस्तृत ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं, उन्हें ‘‘अन्य ऋण’’ में शामिल किया गया है।

4. आंकड़ा स्रोत तथा कार्यप्रणाली पर व्याख्यात्मक टिप्पणी भी देखें।